पंजीकृत क्रमांक : S-385/1949-50

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

केंद्रीय कार्यालय : 3, मार्बल आर्च, सेनापति बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016

+91 22 24306321/24378866 24313938 abvpkendra@gmail.com www.abvp.org

दि. 13 मार्च 2024

-:प्रेस विज्ञप्ति:-

केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू करना अभिनंदनीय एवं स्वागतयोग्य कदम:- अभाविप

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू करने के निर्णय का स्वागत करती है। यह कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश में धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए गए अल्पसंख्यक समुदाय के लिये नवीन जीवन दिशा प्रदान करेगा, भारत में नागरिकता संशोधन कानून मानवता के पक्ष की बहुत बड़ी जीत है।

हिन्दू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन पंथ के लोगों के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश में अत्यधिक भेदभाव हुआ, जिसके कारण इन देशों से शरणार्थी के रूप में आए लोगों के लिए सीएए जैसे कानून की आवश्यकता थी। शरणार्थियों को सीएए द्वारा नागरिकता प्रदान कर मुख्यधारा में जोड़ने के प्रयास से भारत ने 'सर्वे भवन्तु सुखिन' के भाव को पुनः चरितार्थ करते हुए उन्हें समान अवसर तथा मानवीय गरिमा के अनुरूप जीवन जीने के अधिकार के पथ पर प्रशस्त किया है।

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री श्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर देश के तमाम राजनैतिक दलों ने भ्रम फैलाने का प्रयास किया लेकिन देश की जनता इस कानून के पक्ष में है। कुछेक शैक्षणिक संस्थानों में अतिवादी समूहों ने सीएए को लेकर झूठ फैलाने के प्रयास किए हैं, लेकिन कानून को लेकर जनता के बीच स्पष्टता ऐसे नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। विद्यार्थी परिषद, देश के शैक्षणिक संस्थानों में सीएए से जुड़े विभिन्न पक्षों को विद्यार्थियों के बीच रखेगी, जिससे देश का युवा किसी भ्रम का शिकार न हो।

(यह प्रेस विज्ञप्ति केन्द्रीय कार्यालय मंत्री श्री दिगम्बर पवार द्वारा जारी की गयी है।)